उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1133/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(207)-2021

लखनऊः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा(1) और धारा 15 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-836/11-9(47)/17-उ0प्र0अधि0- 1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची दो - 6% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी;

(ख) अनुसूची तीन - 9% में, क्रम संख्या 452त के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में " निकाल दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 27 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव